निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 39 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** के माह 07/2013 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11/09/2017 से 24/09/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. जैन, श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्री एस. एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, द्वारा दिनांक 19/07/2013 से 24/07/2013 तक श्री दिनेश रमोला, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2012 से 06/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः .....

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) □	बचत (-) □	आधिक्य (+) □	बचत (-) □
2013-14			187.98	187.98	82.62	81.26				
2014-15			337.50	334.52	358.62	320.65				
2015-16			399.99	399.45	742.70	740.06				
2016-17			367.14	313.30	176.08	172.90				
2017-18 (10/2017 तक)			144.86	92.06	42.64	5.47				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	केन्द्र पोषित योजनाए	398.85	44.43	44.41	398.87
2014-15		133.48	283.04	274.32	142.2
2015-16		193.92	488.11	464.60	217.43
2016-17		28.90	17.30	15.94	30.26

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

निदेशक

अतिरिक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक

उपनिदेशक

मुख्य कृषि अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में लेनदेन की लेखापरीक्षा, **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2013 एवं 03/2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **ATMA, RKVY केन्द्र पोषित योजनाए** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन आवंटन एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

-शून्य-

Hkkx nks ¼ब½

izLrj 1- :0 77]08]491-00 ds O;; okmpj izLrqr u djukA

ekg 3@2014 dh ys[kkijh{kk ds nkSjku dks'kkxkj ls fnukad 31@3@2014 esa vkgfjr /kujkf"k ds cSd MkzQV cukdj jksdM cgh esa Hkqxrku फर्मों ds uke n"kkZ;k x;k gS] tcfd :0 77]08]491-00 ds O;; okmpj lEizs{k.k ds nkSjku izLrqr ugh fd;s x;s FksA bl dkj.k mDr O;; n"kkZ;h x;h /kujkf"k dk lR;kiu ugh gks ldkA rFkk p;fur ekgksa ds fcyksa dh ys[kkijh{kk esa ;g Hkh ik;k x;k fd फर्मों dks :0 20]000-00 ls vf/kd ds Hkqxrku ij vk;dj vf/kfu;e dh /kkjk 194 ds vuqlkj 2 izfr"kr ls dVkSrh djds Hkqxrku ugh fd;k x;kA lkFk gh lkFk ;g Hkh laKku esa vk;k fd jksdfM;kWa }kjk eSllZ ;wfuoZly b.M`LV`ht ch&8 vkS|ksfxd {ks= dk"khiqj dks :0 43-38 yk[k dk Hkqxrku vkgj.k forj.k vf/kdkjh ds Hkqxrku djus ds vkns"kk fn;s fcuk gh dS"k cqd ls dj fn;k x;k FkkA tksfd foRrh; fu;eksa dk Li'V mYy?ku FkkA

bl lEcU/k esa foHkkx ls iwNus ij :0 77]08]491-00 ds O;; okmpj vxyh lEizs{kk esa izLrqr dj fn;s tk;sxsA rFkk :0 43-38 ds fd;s x;s Hkqxrku ds lEcU/k esa crk;k x;k fd Hkfo'; gsrq uksV fd;k x;k A

foHkkxh; mRrj lUrks'ktud ugh gS]D;ksfd lEizs{k.k frfFk esa O;; okmpjksa dks izLrqr u fd;k tkuk ,oa vkgj.k forj.k vf/kdkjh ds vkns"kksa ds fcuk QeZ dks Hkqxrku fd;k tkuk foRrh; fu;eksa dk Li'V mYy?kau FkkA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

Hkkx nks (c)

izLrj 2- :0 43-38 yk[k के रसायन/औषधियों का vfu;fer dz; fd;k tkukA

शासन के पत्रांक संख्याः 1245/XIII-1/2016-5(26)2005 TC Dated 4 August 2016 एवं foRrh; gLriqfLrdk [k.M ikWap esa mYyf[kr izko|kuksa ds vuqlkj ,oa LVksj ijpst :Yl esa mYyf[kr fu;eksa ds vuqlkj tc rd fdlh lkexzh dh vko";drk u gks] rc rd mldk dz; ugh fd;k tkuk pkfg,sA rFkk lkexzh dk dz; VqdMksa esa fd;k tkuk Hkh vfu;fer crk;k x;k gSA

dk;kZy; मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार dh ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;k x;k fd ,d gh izdkj dh lkexzh ZINC SULPHATE 33 PER CENT 5 kg. PKG (FERTILIZER) dk dz; djus gsrq ,d gh QeZ dks ,d gh fnu esa vyx&vyx dz;kns"kk tkjh djds dqy :0 43]37]675-00 dk Hk.Mkj fd;k x;k gSA tcfd mDr tkjh dz;kns"k dh oS/krk vof/k 30 vf/kdre lekIr gks tkus ij Hkh tkjh dz;kns"kks dks fujLr u djds foyEo ls lkexzh dks izkIr dj vkiwfrZdrkZ QeZ dks vfu;fer ykHk Hkh iznku fd;k x;k gSA

Bill No	Dated	Firm Name	Amounts	Supply Order No.	Dated
815	19-9-2013	Universal Industries B-8 Industrial Estate Kashipur U.S.Nagar	6]74]250-00	228	3-5-2013
810	19-9-2013	rnSo	6]74]250-00	228	3-5-2013
779	10-9-2013	rnSo	5]39]400-00	228	3-5-2013
672	16-8-2013	rnSo	5]84]350-00	228	3-5-2013
367	4-7-2013	rnSo	3]37]125-00	228	3-5-2013
392	8-7-2013	rnSo	3]37]125-00	228	3-5-2013
222	13-6-2013	rnSo	3]59]600-00	228	3-5-2013
214	10-6-2013	rnSo	3]59]600-00	228	3-5-2013
210	8-6-2013	rnSo	3]37]125-00	228	3-5-2013
213	10-6-2013	rnSo	1]34]850-00	228	3-5-2013
		dqy ;ksx	43]37]675-00		

bl lEcU/k esa

foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd mDr njsa d`f'k funs"kky; }kjk vuqeksfnr dh x;h gSA rFkk Hkfo'; esa bl rjg ls lkexzh dk dz; ugh fd;k tk;sxkA

foHkkxh; mRrj lUrks'ktud ugh gS]D;ksfd tc QeZ dh njsa vuqeksfnr dh x;h Fkh] rks ,d gh dz;kns"k tkjh djds lkexzh dks izkIr fd;k tk ldrk FkkA blds fy;s ,d gh fnu esa vyx&vyx /kujkf"k ,oa ek=k ds dz;kns"k tkjh djus dk D;k vkSfpR; FkkA mijksDr ls Lor% gh Li'V gksrk gS] fd mDr njsa vuqekfnr njsa gh ugh FkhA rFkk mPpkf/kdkjh;ksa ls dz; djus dh vuqefr u izkIr djuh iMs] blfy;s ,d eq"r dz;kns"kk tkjh u djds lkexzh dk dz; ,oa dz; lkexzh fcyksa ds Hkqxrku dks Hkh VqdMksa esa foHkkftr dj Hkqxrku Lohd`fr iznku dh x;h gSA tksfd foRrh; fu;eksa dk Hkh Li'V mYy?kau FkkA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

STAN

प्रस्तर1- <u>उच्चाधिकारियों के आदेशो के विपरीत कीटनाशक/रसायन खरीद कर ` 1.07 करोड़ का अनावश्यक दायित्व सृजन किए जाना</u>।

मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार की लेखा परीक्षा के दौरान कीटनाशक/रसायन खरीद से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि वर्ष 2016-17 से 08/2017 तक `10070612.00 कीटनाशक/रसायन खरीद की गई थी, का भुगतान किया जाना शेष है जबकि कृषि निदेशालय, उत्तराखंड के निर्देशानुसार "कृषि रक्षा अधिकारी अपनी मांग के अनुसार तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार ही क्रय आदेश आपूर्तिकर्ता फर्म को प्रेषित करें" इसके विपरीत बिना धनराशियाँ उपलब्धता सुनिश्चित किए ही आपूर्तिकर्ता फर्मो को आपूर्ति आदेश जारी कर `10070612.00 की रसायन मंगाकर विकासखंडों को जारी/आपूर्ति किया गया है, अर्थात निदेशक, कृषि के आदेश का अवमानना कर मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा `10070612.00 का अनावश्यक दायित्व का सृजन किया गया है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ***"कार्य योजना के अनुरूप आपूर्ति की जाती है कृषि निदेशालय से बजट उपलब्ध होने के उपरांत फर्म को भुगतान किया जाता है"।*** विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि बिना धन की उपलब्धता सुनिश्चित किए ही आपूर्ति आदेश जारी कर कीटनाशक/रसायनो की आपूर्ति करवाया जा रहा है, जो कि निदेशालय के आदेशो का स्पष्ट अवहेलना है। अतः उच्चाधिकारियों के आदेशो के विपरीत कीटनाशक/रसायन खरीद कर ` 1.07 करोड़ का अनावश्यक दायित्व सृजन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 ` 60.35 लाख अनुदान की धनराशि का भुगतान न किया जाना।

मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार कार्यालय कि लेखा परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानो को कृषि यंत्र क्रय पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है, से संबन्धित पत्रवालियों की जांच में पाया कि वर्ष 2013-14 में योजनांतर्गत यंत्र खरीद पर मिलने वाली अनुदानार्थ किसानो के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे, में से 42 किसानो को आतिथि तक कुल अनुदान हेतु अनुमन्य धनराशि `12.60 लाख का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वर्ष 2014-15 में अन्य किसानो को इसी योजनांतर्गत अनुदानों का भुगतान किया गया था, में से भी 215 किसानो को आतिथि तक ` 47.75लाख अनुदान का भुगतान किया जाना शेष है इसप्रकार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का कुल (12.60+47.75)` 60.35 लाख का अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अर्थात किसानो के द्वारा उल्लिखित योजनांतर्गत अनुदान की आशा में कृषि यंत्र क्रय किए गए, लेकिन क्रमशः तीन वर्ष एवं दो वर्ष से अधिक समय के बाद भी अनुदान राशि ` 12.60 लाख (2013-14) तथा ` 47.75(2014-15) लाख का भुगतान आतिथि तक (सितम्बर, 2017)। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ***"संबन्धित वर्षो में कार्ययोजनानुसार धनराशि अवमुक्त न होने के कारण भुगतान कि कार्यवाही नहीं कि गयी जैसे धनराशि अवमुक्त होने कि दशा में भुगतान कि कार्यवाही कि जाएगी"।*** विभाग की उत्तर से स्पष्ट है कि कार्ययोजना पारित किए जाने के बाद धनराशियां उपलब्ध न होने के कारण सभी प्रार्थी किसानो को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। अतः ` 60.35 लाख अनुदान की धनराशि का भुगतान न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 3- बिना धनराशियाँ ब्यय उपयोग किए ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जान।

मुख्य कृषि अधिकारी, देहारादूनलेखा परीक्षा के दौरान इस कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओ से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि भारतीय स्टेट बैंक पास बुक खाता 11231236341 जो कि दिनांक 02.04.2013 (NFSM and other central state schemes) को खोला गया था, में निम्नानुसार धनराशिया अवशेष दिखाया गया है:-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष
2012-13	18640248.00	3032383.39
2013-14	3032383.39	39885182.39
2014-15	39885182.39	13348457.39
2015-16	13348457.39	19391860.39
2016-17	19391860.39	2890463.39

उक्त लिखित अप्रयुक्त/अवशेष धनराशियों से स्पष्ट हे कि कार्ययोजनानुसार योजनाये संचालित नहीं कि जा रही है जिस कारण किसानो के हितलाभार्थ स्वीकृत योजनाओ का लाभ किसानो को नहीं मिल प रही है, जिसका मुख्य कारण है योजनाओ का किसानो की आवश्यकतानुसार तैयार न किया जाना तथा धनराशियाँ समय से अवमुक्त न कर वर्षांत माहो में अवमुक्त किया जाना। अभिलेखानुसार सभी योजनाये समय से पूर्ण किया जाना दिखाया गया है, जिसका उदाहरण सभी प्राप्त धनराशियों के सापेक्ष्य उपयोगिता प्रमाणपत्रो का जारी किया जाना, जबकि योजनाओ से संबन्धित धनराशियाँ बेंकों में जमा है। इसे इंगित करने पर ***"उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके है"।*** विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि योजनाओ के सापेक्ष्य प्राप्त धनराशियों के व्यय किय ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर उच्चाधिकारियों को गलत प्रतिवेदन, प्रतिवेदित कि गई है, जो कि गंभीर अनियमितता है। अतः बिना धनराशियाँ ब्यय किए ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
64/2008-09	1,2,3,4	1,2,3,4
464/2009-10	1	1,2,4
72/2011-12/87	1	-
19/2013-14	-	1,2

अन्य 2002-03 से पूर्व के प्रस्तर हैं।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
64/2008-09	भाग-II 'अ' प्रस्तर- 01,02,03,04 भाग-II 'ब' प्रस्तर- 01,02,03,04			
464/2009-10	भाग-II 'अ' प्रस्तर-01 भाग-II 'ब' प्रस्तर- 01,02,04 पू.न. ले.प.-1		विभागीय उत्तर में बताया गया कि विभाग कार्यालय द्वारा पत्रांक- 940 दिनांक 25 जुलाई 2013 के द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है।	
72/2011-12/87	भाग-II 'अ' प्रस्तर-01 पू.न. ले.प.-1 भाग-II 'ब' प्रस्तर-01,02,			
19/2013-14			विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) चयनित माह 03/2014 के रू. 77,08,491.00 के व्यय वाऊचर प्रस्तुत नहीं किये गये है। अगली सम्प्रेक्षा के समय प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) बिना धन की उपलब्धता सुनिश्चित किये ही रसायनों की क्रय किया जाना।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री जय प्रकाश तिवारी	मुख्य कृषि अधिकारी	01/07/2013 से 14/07/2017
(ii)	श्री विकेश कुमार यादव	मुख्य कृषि अधिकारी	15/07/2017 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2